

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(3)()/मो./M&E /आईसीडीएस/137859-89/ जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

17.10.18

विषय:- आवर्ति मद में से किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग का कार्य नहीं कराने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संधारित होने वाले रजिस्टर निदेशालय स्तर पर छपवाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

अतः आप यह सुनिश्चित करे कि आपके जिले में परियोजना स्तर पर स्टेशनरी प्रिंटिंग संबंधि आवर्ति मद में से किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावे। आवर्ति मद की उपलब्ध राशि का उपयोग करने के दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

137892-138196

क्रमांक: एफ.11(3)()/मो./M&E /आईसीडीएस/

जयपुर, दिनांक: 17.10.18

प्रतिलिपि :-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालानार्थ प्रेषित है।



संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर